समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. निगरानी– / /16
निग – 3169 – I – 16

1. राजाराम आ0 श्री हल्कूराम
2. बृजेश आ0 श्री हल्कूराम
3. दुर्गेश आ0 श्री हल्कूराम
4. हल्कूराम आ0 श्री टीकाराम
5. मुल्लोबाई पुत्री श्री टीकाराम

निवासीगण ग्राम उनारसीताल तहसील सिरोंज
जिला विदिशा म0प्र0 ......आवेदकगण

विरूद्ध

रामकृष्ण (अवयस्क) द्वारा माँ एवं संरक्षिका
श्रीमती फूलाबाई निवासीगण ग्राम उनारसीताल
तहसील सिरोंज जिला विदिशा म0प्र0 ....अनावेदक

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक विद्वान आयुक्त भोपाल सभाग भोपाल द्वारा उनके प्रकरण क0 388/विविध/15–16 में पारित आदेश दिनांक 29/08/16 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उनारसीताल तहसील सिरोंज जिला सिरोंज स्थित भूमि खसरा क0 18/10 रकवा 2.000 हेक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में सयुक्त रूप से श्री मिट्ठु आ0 श्री टीकाराम एवं आवेदक क0 4 एवं 5 के नाम पर दर्ज थी । श्री मिठुआ ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से अपने हिस्से की 1/3 (0.667 हे0) भूमि का वसीयतनामा आवेदक क0 1 लगायत 3 के पक्ष में निष्पादित किया गया । श्री मिठुआ के स्वर्गवास के उपरान्त आवेदक क0 1 लगायत 3 एवं अनावेदक द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधिनस्थ तहसील न्यायालय ने दोनों ही वसीयतनामो पर नियमानुसार विचार करने के उपरान्त प्रश्नाधीन भूमि का नामान्तरण आवेदक क0 1 लगायत 3 के पक्ष में करने के आदेश दिये । अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्व प्रत्यर्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के प्रावधानो पर नियमानुसार विचार किये विना ही अधिनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने के आदेश दिये । अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्व आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कि गयी । जो प्रकरण क0 118/अपील/15–16 में दर्ज होकर दिनांक 26/09/16 को माननीय आयुक्त भोपाल सभांग भोपाल के समक्ष सुनवाई हेतु नियत है।

R 3169-I/16 प्रकरण विविध

10.10.17 आवेदक अधि. श्री प्रेमसिंह ठाकुर
उप. अधि. श्री अशोक गुप्ता उप.
आवेदक अधि. ने बताया कि यह
निगरानी अंतरिम आदेश पर

10/10

(3)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3169-I/17 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3	विरुद्ध है। कमिश्नर आयुक्त ने अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जिसके विरुद्ध उन्होंने निगरानी राजस्व मंडल में पृथक से पेश की है। उक्त कारण से अब यह निगरानी निरर्थक हो गई है। अभि. अभि. ने उक्त तथ्यों से सहमति व्यक्त की। उक्त परिस्थिति में यह निगरानी निरर्थक हो जाने से प्रकरण आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। परिणामतः यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। अभिलेख वापिस हो। (हस्ताक्षर) प्रशा. सदस्य	(हस्ताक्षर) 10/10/17